(93)

न्यायालय तहसीलदार राजाखेडा (धौलपुर)

रिमाण्ड पत्रावली नामान्तकरण संख्या 954 वाके ग्राम महदवार नंम्बर 2 पत्रावली संख्या 03/2006 उनवान रामबाबू बनाम मुरारीलाल बगैरा

निर्णय :— दिनांक 02.03.2017

सूक्ष्म वृतान्त यह है न्यायालय श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर धौलपुर के प्रकरण अपील सं0 24/2004 उनवान रामबाबू बनाम मुरारीलाल बगैरा व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 20.05.2006 के अनुसार नामान्तरकरण संख्या 954 वाके ग्राम महदवार नं0 2 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार राजाखेडा को पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड किया गया।

उभय पक्षकारान को नोटिस जारी कर तलब किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया अपीलार्थी रामबाबू का यह कथन है किवह श्री बैजनाथ का ही पुत्र था तथा उनके पिता द्वारा दिनांक 31.05.1990 को वसीयत कराई थी तथा उनके पिता का वर्ष 1992 में स्वर्गवास हो गया था परन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात उसके नाम नामान्तकरण दर्ज नही किया तथा उसे सुनवाई का कोई अवसर भी नही दिया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर अपीलार्थी रामबाबू वर्ष 1979 के राजस्थान पुलिस सेवा में कार्यरत है तथा उनके पिता का निधन वर्ष 1992 में हुआ था। मृतक बैजनाथ पुत्र रामलाल कौम ब्राम्हण का नामान्तरकरण संख्या 954 दिनांक 04.07.1992 को निर्णित किया गया। माननीय एडीएम धौलपुर के न्यायालय के निर्णयानुसार निर्णय में अंकित विन्दु अनुसार अपीलार्थी ने वसीयतनामा की फोटोप्रति तहसीलदार को उसी समय यानि वर्ष 1992 में ही पेश कर दी थी परन्तु उसे सुनवाई का मौका नही दिया । उसके पश्चात अपीलार्थी का यह कहना कि उसे नामान्तरकरण का वर्ष 2004 में यानि 12 वर्ष में पता चलना संदेह पैदा करता है क्योंकि जब अपीलार्थी द्वारा तत्कालीन तहसीलदार को नामान्तरकरण हेतु वर्ष 1992 में वसीयत की फोटो प्रति दे दी थी तो क्या 12 वर्ष तक उसके द्वारा कोई जानकारी नही ली गई। जबकि अपीलार्थी शिक्षित व राज कर्मचारी है। अपीलार्थी द्वारा वसीयतनामा, परिचय पत्र, राशनकार्ड, एफ.आई.आर की छायाप्रति प्रस्तुत की जो शामिल पत्रावली की गई। माननीय न्यायालय के निर्णय में अंकित प्रत्यर्थीगण द्वारा यह जाहिर किया है कि अपीलार्थी रामबाबू उनके स्वं0 पिता बैजनाथ का पुत्र नही है। स्वं0 श्री बैजनाथ द्वारा अन्य महिला को आश्रय दिया था जिसके पति फौज में नौकर थे उनकी मृत्यु के पश्चात अपीलार्थी अन्य महिला के साथ आया था जिसका स्वं0 बैजनाथ ने भरण पोषण किया था।

नामान्तरकरण सं0 954 मृतक बैजनाथ के बजाय मुरारीलाल, राजेन्द्रप्रसाद, रामताप्रसाद, नरायणदास के नाम दर्ज होकर स्वीकार किया गया था। अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर अपीलार्थी की वल्दियत बैजनाथ है परन्तु अपीलार्थी मुरारी बगैरा का सगा भाई है या नही इसके लिये अपीलार्थी को सक्षम न्यायालय से उत्तराधिकार

(पुरूषोत्तमलाल)
तहसीलदार
राजाखेड़ा (धौलपुर)

(९५)

प्रमाण पत्र लिया जाना उचित होगा। जब तक इस विन्दु के सम्बन्ध में सक्षम न्यायालय द्वारा आदेश पारित नही होता है तब तक अपंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर कोई कार्यवाही किया जाना उचित नही होगा। लिहाजा नामान्तरकरण संख्या 954 वाके ग्राम महदवार नं0 2 पर पारित निर्णय दिनांक 04.07.1992 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

दिनांक 02.03.2017
स्थान :– राजाखेडा

(पुरूषोत्तमलाल)
तहसीलदार राजाखेडा
जिला धौलपुर (राजस्थान)